न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1050 / दावा / 2016
दायरा 27 / 09 / 2016

उनवान

1. दीपक पुत्र मोहनलाल नाबा0 वली माता संतोषबाई पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी राजपुरा तह0 खानपुर हाल निवास झालावाड़
2. रविकुमार पुत्र मोहनलाल नाबा0 वली माता संतोषबाई पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी राजपुरा तह0 खानपुर हाल निवास झालावाड
3. संतोषबाई पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी राजपुरा तह0 खानपुर हाल निवास झालावाड

— वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र हरनाथ जाति धाकड़ निवासी राजपुरा तह0 खानपुर
2. बद्रीलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर
3. भीमराज पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर
4. मुकटबिहारी भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर
5. कन्याबाई पुत्री भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर
6. पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर
7. शांतिबाई पत्नि बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर
8. मोहनीबाई पत्नि धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी धनौदाखुर्द तह0 खानपुर
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

[illegible] :– 1. श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
2. श्री संजय गौतम अधिवक्ता – प्रति0नं0 1
3. श्री लेखराजसिंह चंद्रावत अधिवक्ता – प्रति0नं0 8

निर्णय

दिनांक 26 / 09 / 2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद धारा 88, 91, [illegible] 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय का [illegible] किया है कि ग्राम धानौदाखुर्द की जमाबंदी सं0 2058–61 की खतोनी सं0 79 की [illegible] 223 रकबा 13.10 बीघा आराजी वादी0नं0 1, 2 के दादा हरनाथ पुत्र किशना [illegible] पुत्र किशना के खाते व कब्जे काश्त की थी, जिसमें वादीगण के दादा का [illegible] हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम राजपुरा की जमाबंदी सं0 2055–58 की खतोनी सं0 [illegible] 321 की 14.15 बीघा, ख0नं0 361 की 3.18 बीघा, ख0नं0 362 की 3.18 [illegible] 363 की 0.07 बीघा, ख0नं0 364 की 1.19 बीघा, ख0नं0 365 की 2.10

बीघा कुल 6 किता की 27.07 बीघा आराजी वादी 1, 2 के दादा हरनाथ वल्द किशनलाल तथा भैरूनाथ वल्द किशनलाल जाति धाकड़ निवासी राजपुरा के खाते एवं कब्जे काश्त की थी, जिसमें वादीगण के दादा का हिस्सा 1/2 है। वादीगण के दादा हरनाथ की मृत्यु के बाद उनके खाते व कब्जे काश्त की आराजी उनके वारीसान मोहनलाल व लाडबाई के खाते दर्ज हुई है। लाडबाई ने अपना हिस्सा प्रति0नं0 1 मोहनलाल के हक में त्याग दिया है। वादीगण के पिता को उनके पिता से विरासत में प्राप्त होने वाली आराजी ग्राम धानौदाखुर्द की ख0नं0 223 की 13.10 बीघा व ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा में से 7.08 बीघा है। दीपक व रवि का जन्म मोहनलाल के नुत्फे से हुआ है, जो वाद में वादीगण हैं। वादी 1, 2 का पिता मोहनलाल जुआ, सटटा व शराब पीने का आदी है जो अपनी बुरी आदतों के कारण विरासत में मिलने वाली आराजी को बेचान करने पर आमाद है। वादी ने अपने पिता से विरासत में प्राप्त होने वाली ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 रकबा 7.08 बीघा में से 2.08 बीघा मोहनीबाई पत्नि धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी राजपुरा को बैचान कर दी जो उसके खाते दर्ज हो चुकी है। वादीगण 1, 2 प्रति0नं0 1 मोहनलाल की संतान हैं तथा हरनाथ उनका दादा था। ऐसे में उक्त दोनों गावों की आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त आराजी में मोहनलाल के 1/2 हिस्से में वादीगण का 3/4 हिस्सा एवं मोहनलाल का सिर्फ 1/4 हिस्सा बनता है। मोहनलाल ने बिना वादीगण की सहमति से यह बैचान किया है जो शून्य है तथा वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बेअसर शून्य है। वादीगण को मोहनलाल को अपने पिता से प्राप्त होने वाली कुल आराजी ख0नं0 321 की 14.15 बीघा ग्राम राजपुरा व ख0नं0 223 की 13.10 बीघा ग्राम धानौदाखुर्द में से 3/8 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य है। प्रति0नं0 1 शेष आराजी को भी अन्य व्यक्ति को बैचान करने पर आमादा है। ऐसे में प्रति0नं0 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है। दि0 21.0902019 को जब वादीगण ने मोहनलाल से बात की तो प्रतिवादी मोहनलाल ने धमकी दी कि वो आराजी बेचेंगे। इसलिये वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा में वादीगण को प्रति0न0 1 के हिस्से की आराजी 1/2 हिस्से में से 3/4 हिस्से का एवं ग्राम धानौदाखुर्द की ख0नं0 223 की 13.10 बीघा में वादीगण को प्रति0नं0 1 के हिस्से की आराजी 1/2 हिस्से में से 3/4 हिस्से का संयुक्त खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। साथ ही प्रति0नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त आराजी बेचान व अंतरण नहीं करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादीगण को दिलायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 2 लगा0 7, 9 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रति0नं0 8 की ओर से श्री लेखराजसिंह चंद्रावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा का अवसर चाहा गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से श्री संजय गौतम एडवोकेट ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये जवाबदावा पेश किया कि ग्राम राजपुरा की आराजी ख0नं0 321 की 14.15 बीघा में प्रतिवादी 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी की बहिन लाडबाई का 1/4 हिस्सा नियम है। इस प्रकार इस आराजी में प्रति0नं0 1 का कुल हिस्सा 3.13 बीघा एवं ग्राम धानौदाखुर्द

में ख0नं0 223 की 13.10 बीघा में प्रति0नं0 1 का हिस्सा 1/4 होकर 3.07 बीघा कुल हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रति0नं0 1 का वादग्रस्त आराजी में कुल 7.00 बीघा बनती है, जिसमें से प्रति0नं0 1, वादीगण के हिस्से की आराजी देने के लिये पूर्ण रूप से तैयार है। शेष आराजी 7.00 बीघा भूमि प्रति0नं0 1 को अपनी बहिन द्वारा दी गयी थी जो अपने स्वंय की आराजी है, जिसमें वादीगण का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 अपने हिस्से की कुल आराजी 7.00 बीघा में वादीगण को ग्राम राजपुरा की आराजी में से वादीगण के हिस्से से अधिक भूमि देने को तैयार है। प्रति0नं0 1 ने ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा में वादीगण को प्रति0नं0 1 के हिस्से में से 5.00 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित करने की सहमति प्रकट की है। अधिवक्ता वादी भी प्रति0नं0 1 के जवाब से पूर्ण रूप से सहमत है। ऐसे में अधिवक्ता उभय पक्ष की सहमति से वाद पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादीगण 1, 2 प्रतिवादी नं0 1 मोहनलाल के जायन्दा पुत्र हैं। ग्राम धानौदाखुर्द की 13.10 बीघा एवं ग्राम राजपुरा की 27.07 बीघा आराजी वादीगण 1, 2 की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण के दादा हरनाथ का 1/2 हिस्सा था। दादा हरनाथ के फौत होने के बाद यह आराजी वादीगण 1, 2 के पिता प्रति0नं0 1 मोहनलाल व उसकी बहिन लाडबाई के खाते दर्ज की गयी है। लाडबाई ने अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग अपने भाई प्रति0 नं0 1 के पक्ष में कर दिया है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति होने एवं वादी 1, 2 के खातेदार प्रति0नं0 1 मोहनलाल के पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वादीगण को जन्म से इस आराजी में अधिकार प्राप्त है। प्रति0नं0 1 मोहनलाल ने भी हमारे वाद को स्वीकार करते हुये ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा आराजी में से प्रति0नं0 1 के हिस्से में से 5.00 बीघा आराजी देने में सहमत हो गये हैं, जिसे प्रति0नं0 1 ने अपने जवाबदावा में भी स्वीकार है। हम भी प्रतिवादी नं0 1 के कथन से सहमत हैं। अतः जवाब दावा स्वीकार किया जाकर वादी नं0 1, 2 को ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा में प्रति0नं0 1 के हिस्से में से 5.00 बीघा आराजी का संयुक्त रूप से खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रति0नं0 1 ने अपनी बहस में अपने जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया हम वादी के वाद से सहमत हैं। ग्राम राजपुरा व ग्राम धानौदाखुर्द की कुल आराजी में प्रति0नं0 1 के हिस्से की 7.00 बीघा जमीन है जिस शेष 7.00 बीघा भूमि बहिन लाडबाई के हिस्से की रिलीज डीड से मिली है। हम ग्राम राजपुरा की 14.15 बीघा आराजी में अपने हिस्से में से 5.00 बीघा आराजी वादी 1, 2 को देने को सहमत हैं। इनको 5.00 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित कर दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस का मनन किया। ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा एवं ग्राम धानौदाखुर्द की ख0नं0 223 की 13.10 बीघा आराजी खातेदार प्रति0नं0 1 मोहनलाल को अपने पिता हरनाथ से मिली है। इस आराजी में मोहनलाल का 1/4 हिस्सा व लाडबाई का 1/4 हिस्सा था। लाडबाई द्वारा अपने 1/4 हिस्से का मोहनलाल के पक्ष में हक

त्यागने से मोहनलाल का हिस्सा 1/2 हो गया है। प्रति0नं0 1 मोहनलाल ने अपने 1/2 हिस्से में से 1/3 अर्थात कुल खाते का 1/6 भाग मोहनबाई पत्नि धन्नालाल को बेचान किया है जो नामा0सं0 425 से केता मोहनबाई के खाते दर्ज हुई है। इस प्रकार इस खाते में प्रति0नं0 1 मोहनलाल का 1/3 हिस्सा शेष बचता है। प्रति0नं0 1 मोहनलाल ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा में से अपने हिस्से में से 5.00 बीघा आराजी वादीगण 1, 2 को देने को सहमत है। प्रति0नं0 1 मोहनलाल का इस आराजी में 1/3 हिस्सा बनता है। इस कथन से वादीगण 1, 2 भी सहमत हैं। ऐसे में वादीगण 1, 2 को बांट बराबर से खातेदार/प्रतिवादी नं0 1 मोहनलाल के 1/3 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादी नं0 3 [illegible], वादी नं0 1, 2 की माता व प्रति0नं0 1 मोहनलाल की पत्नि हैं तथा इनके पति प्रति0नं0 1 मोहनलाल जीवित हैं। ऐसे में वादी नं0 3 का इस आराजी में कोई हक पर अधिकार नहीं बनता है। साथ ही प्रति0नं0 8 से वादीगण ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है और वह इस वाद में औपचारिक पक्षकार हैं। ऐसे में इनका जवाबदावा लिया जाना हम आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादीगण 1, 2 को ग्राम राजपुरा की ख0नं0 321 की 14.15 बीघा आराजी में प्रति0नं0 1 मोहनलाल के 1/3 हिस्से का बांट बराबर से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इस खाते से खातेदार प्रति0नं0 1 मोहनलाल का नाम खारिज हो। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 26/09/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)